



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA



संदर्भ : भा.वि.प्रा/JRG/वाणिज्यक/पार्किंग/2024-25/563-566 दिनांक : 27/03/2025
Ref. No.: AAI/JRG/COMML/PARKING/2024-25/563-566 Date : 27/03/2025

सेवा में/To:

मैसर्स जोगिंदर सिंह, / M/s Joginder Singh

WZ F1/195 स्ट्रीट नंबर-4 वरिंदर नगर / WZ F1/195 Street no-4 Varinder Nagar,
नई दिल्ली / New Delhi - 110058

विषय: वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डे, झारसुगुडा में स्वचालित वाहन पार्किंग प्रबंधन प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशन (एसआईटीसी) और संचालन, पार्किंग शुल्क संग्रह और अतिरिक्त समय शुल्क अधिकारों के लिए रियायत के लिए सीमित निविदा का आवंटन।

Sub: Allotment of Limited tender for Concession to Supply, Install, Test, Commission (SITC) and operate Automated Vehicle Parking Management System, Collection of Parking Fees and Excess Time Fees Rights at VSS Airport, Jharsuguda.

प्रिय महोदय,

हमें यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि सक्षम प्राधिकारी ने E-बिड नंबर 2025_AAI_224560_1, दिनांक 22.01.2025 के प्रत्युत्तर में " वीएसएस हवाई अड्डा, झारसुगुडा में स्वचालित वाहन पार्किंग प्रबंधन प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशन (एसआईटीसी) और संचालन, पार्किंग शुल्क संग्रह और अतिरिक्त समय शुल्क अधिकारों के लिए रियायत के लिए सीमित निविदा" के लिए आपकी बोली स्वीकार कर ली है।

We are pleased to inform you that Competent Authority has accepted your bid for "Limited tender for Concession to Supply, Install, Test, Commission (SITC) and operate Automated Vehicle Parking Management System, Collection of Parking Fees and Excess Time Fees Rights at VSS Airport, Jharsuguda" in response to this E-bid No.: 2025_AAI_224560_1, dated 22.01.2025.

लाइसेंस मैसर्स जोगिंदर सिंह को निम्नलिखित शर्तों और नियमों के अनुसार 05 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया गया है:

The license is hereby accorded to M/s Joginder Singh for a period of 05 Years as per the following terms & conditions:

संदीप



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA



1. यह आवंटन पत्र अनुबंध का हिस्सा होगा जिसे लाइसेंसधारी द्वारा इस आवंटन पत्र की तारीख से 7 दिनों के भीतर हस्ताक्षर कर स्वीकृति के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

This award letter will be a part & parcel of agreement to be submitted by the licensee by signing as acceptance within 07 days from the date of issue of this award letter.

2. व्यवसाय इनक्यूबेशन अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिनों की होगी, जिसमें बोलीकर्ता को आवंटन पत्र की सभी औपचारिकताएँ/शर्तें पूरी करने का दायित्व होगा।

Business Incubation Period is 15 days from the date of issuance of award letter. Bidder will be under obligation to complete all the formalities /conditions of award letter.

3. 90 दिनों की जेस्टेशन अवधि लागू होगी, जो व्यवसाय इनक्यूबेशन अवधि समाप्त होने की तारीख से यानी आवंटन पत्र जारी होने की 16वीं तारीख से अथवा साइट सौंपने की तारीख, जो भी पहले आए, से शुरू होगी।

Gestation period of ninety (90) days, reckoned from the date of Handing over of site or expiry of business Incubation period i.e. from the 16th day of issue of award letter, whichever is earlier, shall be permissible.

4. लाइसेंस 05 वर्षों की अवधि के लिए वैध रहेगा, वाणिज्यिक बिलिंग व्यवसाय शुरू होने या जेस्टेशन अवधि समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, से शुरू होगी। हालाँकि, आवंटन पत्र की सभी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद ही साइट सौंपी जाएगी।

The license will be valid for a period of 05 Years, Commercial billing will start on commencement of business or expiry of gestation period, whichever is earlier. However, handing over of site will be done only after completing all the formalities of award letter.

5. लाइसेंस शुल्क और क्षेत्र, स्थान किराया, आदि का विवरण निम्नानुसार होगा:

The details of the license fee & area, space rent, etc. will be as follows:

The licensee shall pay license fee @ Rs.2,51,987/- per month (Rupees Two Lakh Fifty-One Thousand Nine Hundred Eighty-Seven Only) per month + GST and other charges etc. with compound annual escalation as per NIT clause no.4. The licensee is liable to pay utility facilitation charges @ 10% of AAI notified monthly normal space rent. The space rent / utility facilitation charges are subject to 7.5% compound annual escalation rounded off to nearest multiple of Rs.10/- on 1st April every year or as may be decided by AAI from time to time for allotted cabins / booths (to be provided at entry / exit points and vehicle parking).

संदीप



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA



Sl. No. क्र. सं.	लाइसेंस और क्षेत्र का विवरण / License & area details, space rent, etc.	मासिक लाइसेंस शुल्क / Monthly License Fee	10% यूटिलिटी शुल्क / 10% Utility Fee	जीएसटी @ 18% / GST @ 18%	कुल देय राशि / Total payable amount
01	License for Limited tender for Concession to Supply, Install, Test, Commission (SITC) and operate Automated Vehicle Parking Management System, Collection of Parking Fees and Excess Time Fees Rights at VSS Airport, Jharsuguda.	₹.2,51,987/- per month	(1.5mtr × 1.5mtr × 6 booth) × Rs.670/- (Non-AC) × 10% = ₹.904.5/-	₹.45,520.47/-	₹.2,98,412/- Per month

(Rupees Two Lakh Ninety-Eight Thousand Four Hundred Twelve Only)

(* Utility charges will be charged subject to actual measurement & no. of booth / cabin handover area)

6. इसके अतिरिक्त, लाइसेंसधारी को बिजली की खपत के लिए शुल्क और यदि लागू हो तो वास्तविक उपयोग के अनुसार पानी का शुल्क भी देना होगा। इसके अलावा, लाइसेंसधारी को एएआई द्वारा तय किए गए अनुसार संरक्षण और अन्य स्थानीय शुल्क, यदि कोई हो, का भी भुगतान करना होगा। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, आपको बिजली और पानी की आवश्यकता के लिए संबंधित इंजीनियरों (विद्युत / सिविल) से संपर्क करना होगा।

संदीप



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA



In addition, the licensee shall have to pay the charges for the consumption of the electricity and water charges as per actual usage if applicable. Moreover, the licensee shall also pay conservancy and other local charges, if any, as decided by the AAI. After signing of agreement, you have to contact concerned engineers (elect / civil) for electricity and water requirement.

7. प्राधिकरण चालू माह के सभी बिल (लाइसेंस शुल्क / एमएमजी / एमएजी और वार्षिक भूमि पट्टा बिलों को छोड़कर किसी भी अन्य बिल सहित) बिजली, पानी आदि जैसे व्यय बिलों की सत्य-भुगतान और प्रतिपूर्ति को छोड़कर, महीने के पहले दिन अग्रिम रूप से जारी करेगा। पूरे महीने के लिए बिजली, पानी शुल्क आदि जैसे व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए चालान अगले महीने की 10 तारीख को या उससे पहले जारी किए जाएंगे। भूमि किराये के बिल (भूमि की श्रेणी के संबंध में) पूरे वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर अग्रिम रूप से जारी किए जाएंगे और भूमि किराये की कुल बिल राशि को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा। पंद्रह (15) दिनों (चालान की तारीख प्लस 15 दिन) की क्रेडिट अवधि प्रदान की जाएगी, जो प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने पर कटौती के अधीन है। जिन मामलों में रियायतग्राही/एजेंसियों ने देय तिथि के बाद लेकिन नब्बे (90) के भीतर चालान का निपटान किया है, प्राधिकरण नियत तारीख (यानी चालान की तारीख और 15 दिन) से प्राधिकरण के खाते में प्राप्त भुगतान की वास्तविक तारीख तक 12% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लगाएगा। और जहां रियायतग्राही/एजेंसियों के मामले में नब्बे (90) दिनों के बाद चालान का निपटान करने पर नियत तिथि से 18% प्रति वर्ष की दर से एएआई खाते में प्राप्त भुगतान की वास्तविक तिथि तक। एजेंसी द्वारा किए गए आंशिक भुगतान के मामले में, चालान की शेष राशि पर लागू ब्याज दर के समान शुल्क लिया जाएगा।

Authority shall raise all bills (including License Fee / MMG / MAG and any other bills except annual land lease bills) for the current month on 1st day of month in advance except true-up and reimbursement of expenditure bills like electricity, water etc. The invoices for reimbursement of expenditure like electricity, water charges etc. for the completed month shall be raised on 10th of succeeding month. The Land rental bills (respective of category of land) shall be raised on annual basis for entire financial year in advance and the total bill amount of land rental shall be rounded off to the nearest Rupee. A credit period of fifteen (15) days (date of invoice plus 15 days) shall be provided, which is subject to reduction as and when decided by Authority. Authority shall levy penal interest @12% per annum from the due date (i.e. date of invoice plus 15 days) till the actual date of payment received in Authority's account in the cases concessionaire / agencies settled the invoice after due date but within ninety (90) days (date of invoice plus 90 days) and @18% per annum from the due date till the actual date of payment received in AAI account in the case of concessionaire / agencies settled the Invoices after ninety (90) days. In case of part payment made by the agency, same rate of interest on the balance amount of invoices as applicable shall be charged.

8. सुरक्षा जमा- लाइसेंसधारी को नीचे बताए अनुसार ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना होगा, जो कि राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी/बैंक हस्तांतरण/एनईएफटी के रूप

संदीप

में "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण" के पूर्ण पक्ष में, पुरस्कार पत्र की तारीख से 15 (दस) दिनों के भीतर झारसुगुड़ा में देय होगा:

Security Deposit: - The Licensee shall have to pay interest free Security Deposit as stated below in the form of Bank Guarantee/ Bank transfer/ NEFT from a Nationalized/Scheduled bank in absolute favour of "Airports Authority of India", payable at Jharsuguda within 15 (Ten) days from the date of award letter:

Details of Security Deposit required	Amount
SD equivalent to 06 months of the 1 st year	Rs.17,90,472.00
Towards Electricity @ 5% of annual license fee	Rs.1,79,047.20
Total amount	Rs.19,69,519.20

बिजली शुल्क के संबंध में सुरक्षा जमा राशि वार्षिक लाइसेंस/रियायत मूल्य के 5% के बराबर होगी, बशर्ते न्यूनतम राशि रु. 10,000/- और अधिकतम जमा राशि 10 लाख रु. उक्त सुरक्षा जमा में सभी प्रकार की उपयोगिताओं जैसे बिजली, पानी, डेटा पोर्ट, टेलीफोन आदि के लिए एसडी शामिल होगा।

The Security deposit in respect of electricity charges equivalent to 5% of annual license / concession value subject to minimum deposit of Rs. 10,000/- and a maximum deposit of Rs.10 Lakhs if applicable. The said security deposit will cover SD towards all types of utilities such as electricity, water, data port, telephone etc.

9. **कुल देय राशि: 22,67,931/- रुपये (केवल बाईस लाख सड़सठ हजार नौ सौ इकतीस रुपये)** यानी एनईएफटी के माध्यम से एक महीने की अग्रिम लाइसेंस फीस के लिए 2,98,412/- रुपये + प्रथम वर्ष के 06 महीनों के लिए 17,90,472/- रुपये + बिजली के लिए 1,79,047/- रुपये @ 5% 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण' के पूर्ण पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक से एनईएफटी/आरटीजीएस/बीजी के माध्यम से वार्षिक लाइसेंस शुल्क, बिजनेस इनक्यूबेशन अवधि के भीतर झारसुगुड़ा में देय होगा।

Total amount Payable: A sum of Rs.22,67,931 /- (Rupees Twenty-Two Lakh Sixty-Seven Thousand Nine Hundred Thirty-One Only) i.e Rs.2,98,412/- towards one-month advance license fee through NEFT + Rs.17,90,472/- towards equivalent to 06-months of 1st year + Rs.1,79,047/- towards electricity @ 5% of annual license fee by way of NEFT/RTGS/BG from Nationalized bank in absolute favor of 'Airports Authority of India', payable at Jharsuguda within business incubation period.

संदीप



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA



10. लाइसेंसधारी को आवंटित काउंटर का उपयोग केवल उन सेवाओं के लिए करने की अनुमति होगी जिसके लिए इसे आवंटित किया गया है और किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी परिस्थिति में नहीं।

The licensee shall be allowed to use the allotted counter exclusively for the purpose of services for which it is allotted and not for any other purpose under any circumstances.

11. लाइसेंसधारी से अनुरोध है कि आवंटन पत्र की तारीख से 15 दिनों के भीतर 500/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर लाइसेंस समझौते के निष्पादन किया जाये। स्टाम्प पेपर की लागत लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी।

The licensee is requested for execution of License Agreement on Rs. 500/- non-judicial stamp paper within 15 days from the date of issue of this award letter. The cost of stamp paper which will be borne by the licensee.

12. लाइसेंसधारी को लाइसेंस से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए दुकान का एक ले-आउट प्लान प्रस्तुत करना आवश्यक है।

The licensee is required to submit a lay-out plan of the shop for approval of the Competent Authority before starting any type of work related to License.

13. लाइसेंसधारी समय-समय पर लागू श्रम कानूनों के सभी नियमों और विनियमों का पालन करेगा।

The licensee shall abide by all the rules and regulation of Labour Laws applicable from time to time.

14. **सुरक्षा क्लीयरेंस :** रियायतग्राही को परिचालन की अनुमति के लिए निर्धारित अवधि के भीतर बीसीएस सुरक्षा मंजूरी (जहां भी आवश्यक हो) प्राप्त करनी होगी। यदि लाइसेंसधारी बीसीएस प्राप्त न होने के कारण व्यवसाय शुरू करने में सक्षम नहीं है तो बाद में कोई छूट/रियायत नहीं दी जाएगी।

Security Clearance: Concessionaire has to obtain BCAS security clearance (wherever necessary) within gestation period allowed for permission to operate. No rebate / concession will be allowed at a later stage if the licensee is not able to commence the business due to non-receipt of BCAS.

15. लाइसेंसधारी उक्त परिसर का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है। लाइसेंसधारी प्राधिकरण से लिखित अनुमति के बिना उक्त परिसर में किसी अन्य प्रकार के विज्ञापन या साइनबोर्ड को खड़ा या प्रदर्शित नहीं करेगा।

संदीप



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA



The Licensee shall not use the premises for any purpose other than that for which the license has been granted. The Licensee shall not erect or display any other type of advertisement or signboards upon the said premises without prior permission in writing from the Authority.

16. लाइसेंसधारी से अनुरोध है कि लाइसेंस शुरू होने से पहले लाइसेंस के लिए नियोजित व्यक्तियों के नाम की सूचना दें।

The licensee is also requested to intimate the names of the persons to be employed for the said license before commencement of the license.

17. यह आवंटन पत्र लाइसेंसधारी और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी लाइसेंस समझौते का अभिन्न अंग होगा।

This award letter will be an integral part of license agreement binding both the parties, i.e. the licensee and Airports Authority of India.

18. लाइसेंसधारी को एएआई दिशानिर्देशों के अनुसार लाइसेंसधारी नाम की ब्रांडिंग के लिए उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी में त्रिभाषी बोर्ड स्थापित करना होगा।

The Licensee shall install trilingual board Odia, Hindi and English for branding licensee name as per AAI guidelines.

19. एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से लाइसेंस शुल्क आदि जमा करने का विवरण इस प्रकार है:

The Details for deposition of License Fee etc. through NEFT/RTGS is as follows:

Name of Bank: State Bank of India
Branch: Jharsuguda
IFSC Code: SBIN0000238
Beneficiary Name: Airports Authority of India
Account number: 11346746023

20. लाइसेंसधारी एएआई से लिखित अनुमोदन के बिना आवंटित स्थान में कोई संरचनात्मक परिवर्तन या बदलाव नहीं करेगा।

The Licensee shall not make any structural addition or alternation in the allotted space without the approval in writing from AAI.

21. लाइसेंसधारी को ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण के लिए सभी सुरक्षा आवश्यकताओं का हर समय अनुपालन करना होगा, यदि कोई हो।

संदीप



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA



The Licensee shall at all-time comply with all safety requirements for storage of inflammable materials, if any.

22. सभी अन्य नियम और शर्तें एनआईटी के अनुसार होंगी।

All other terms & conditions will be as per NIT.

23. इस कार्यालय को स्वीकृति पत्र 07 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

It is requested that an acceptance letter may please be conveyed to this office within the stipulated time period of 07 days.

धन्यवाद, Thanking you,

सादर, Regards

संदीप
27.03.2025

विमानपत्तन निदेशक

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
वीर सुरेन्द्र साह हवाईअड्डा झारसुगुडा

Copy to:

आंतरिक/Internal:

1. सभी विभागाध्यक्ष, वी.एस.एस हवाई अड्डा, झारसुगुडा

बाहरी/External:

1. क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (ER), ए.ए.आई., एन.एस.सी.बी.आई. हवाईअड्डा, कोलकाता-52
2. वाणिज्यिक विभाग, आर.एच.क्यू. (ER), ए.ए.आई., एन.एस.सी.बी.आई. हवाईअड्डा, कोलकाता-52